न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/359
दायरा तिथि : 23.09.2022
फैसला तिथि : 30-01-2023

प्रार्थीया :–
चम्पादेवी पत्नी गोमाराम जाति मेघवाल
निचसी बेडा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थितिः–
1. श्री हेमन्त बोहरा.................... अभिभषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार..............पैरोकार सरकार

दिनांक 30-01-2023

–:: आदेश ::–

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवारी हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 2570/789 का रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में रकबा 0.32 हैक्टर दर्ज है, परन्तु राजस्व नक्शा में जमाबंदी अनुसार रकबा नहीं होकर राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 2570/789 का रकबा 0.16 हैक्टर ही है। अतः जमाबंदी मं दर्ज खातेदारी रकबा 0.32 हैक्टर के अनुसार राजस्व नक्शा में भी खसरा नंबर 2570/789 की स्थिति 0.32 हैक्टर के अनुसार शृद्ध किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीया द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य खातेदारी भूमि बेडा प्रथम के खसरा नंबर 2570/789 की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की प्रति, खसरा नंबर 2570/789 के हाल नक्शा ट्रेस की प्रति, भूमि पैमायश आदेश दिनांक 29.05.2020 की प्रति, पटवारी हल्का व निरीक्षक भू0अ0 बेडा की मौका पैमायश रिपोर्ट, आस पडौस के खसरा के नक्शा ट्रेस की प्रति, सेग्रीगेशान के पुर्व के नक्शा की प्रति, पासबुक की प्रति तथा वर्णित तथ्यो की पुष्टि में स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया।

प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली मय पटवारी हल्का, बेडा प्रथम ने जांच कर निम्नानुसार रिपोर्ट पेश कीः–

1. यह हैं कि प्रार्थीया चम्पा पत्नि गोमाराम मेघवाल निवासी बेडा के स्वामित्व खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि बेडा प्रथम के खसरा नंबर 2570/789 रकबा 0.32 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 खाता संख्या 171 के रेकर्ड में दर्ज है।

2. यह हैं कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 2570/789 रकबा 0.32 हैक्टर प्रार्थीया के नाम दर्ज है तथा मौके पर भी प्रार्थीया 0.32 हैक्टर भूमि पर काबिज है, परन्तु राजस्व नक्शा लट्ठा व सेग्रीगेशन के पश्चात् ऑनलाईन नक्शा शीट में तरमीम के वक्त लिपीकीय भूलवश प्रार्थीया के खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2570/789 के नक्शे में 0.16 हैक्टर की ही तरमीम हुई है। तथा ऑन लाईन नक्शा व नक्शा लट्ठा में पैमायश करने पर नाप में रकबा 0.16 हैक्टर ही आ रहा है। अपनी जांच रिपोर्ट में राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 2570/789 का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबा 0.32 हैक्टर से कम रकबा होने से नक्शे की स्थिति में मौका स्थिति के अनुसार शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। अपनी रिपोर्ट के समर्थन में पटवारी हल्का, बेडा प्रथम द्वारा बेडा के खसरा नंबर 270/789 के वर्तमान में दर्ज नक्शे की स्थिति तथा मौका स्थिति के अनुसार प्रस्तावित शुद्धि के नक्शे की स्थिति का नजरी नक्शा भी पेश किया।

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के प्रावधानो का अवलोकन किया गया। **131. Maintenance of Map and Field Book- After the survey and record operation are over, the map and field book shall be maintained by the Land Records officer, in accordance with the rules made by the state Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded tferin all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors wich are shown to have been made in such map or field book. According to section 131, the Land Record Officer(i.e. collector or S.D.O. as the case may be) shall be responsible for the proper maintenance of the map, and field book and to record necessary changes from time to time in accordance with the Raj. Land Revenue (Land Record) Rules, 1957.**

पेज लगातार.............02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : GCMS No. 2022/359
अनवान् चम्पादेवी बनाम तहसीलदार, बाली
<u>अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956</u>

इस सबंध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 में **नक्शा (मानचित्र)** के संबध में वर्णित नियम 59 व 60 में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निरीक्षक भू0 अभिलेख एवं सबंधित राजस्व अधिकारी **नक्शे की शुद्धि किये लिये जिम्मेदार हैं।** इस संबध में राजस्थान भूराजस्व (भू0 अभिलेख) नियम 1957 के **अध्याय द्वितीय में वर्णित** उपखण्ड **अधिकारियों के कर्तव्य शीर्षक में वर्णित नियम 369 के अनुसार**– उपखण्ड अधिकारी यद्यपि जिलाधीश के नियंत्रण में है फिर भी उसके साथ–साथ **अपने उपखण्ड में अभिलेख नक्शे की शुद्धि के लिए** उत्तरदायी है **उसे समस्त परिवर्तनों के आदेश देने के अधिकार हैं** तथा समस्त विवादास्पद नामान्तरकरण के मामले हस्तान्तरण व परिवर्तन जो उसके ध्यान में आवे निस्तारण कर सकता हैं। कर्मचारीगण पर देख रेख करने के अलावा उसे विशेषतया यह देखना चाहिए कि पारित आदेश स्पष्ट संक्षिप्त हैं तथा इनकी पालना कर ली गई हैं। उपखण्ड अधिकारी की भू0 अभिलेख के सम्बन्ध में उन कर्तव्यों के अलावा जो वह न्यायिक हैं दृष्टि से सम्पन्न करता है। इसके साथ ही राज.भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत रिकार्ड में हुई त्रुटि को दोनो पक्षो के सहमत होने पर उपखण्ड अधिकारी बतौर लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर शुद्धि के आदेश दे सकता हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से ज्ञात हैं कि प्रार्थीया द्वारा धारित की जा रही खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का, बेडा प्रथम के खसरा नंबर 2570/789 का रकबा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में रकबा 0.32 हैक्टर दर्ज है, तथा इसी अनुसार प्रार्थीया का मौके पर भी कब्जा काश्त है, परन्तु खसरा नंबर 2570/789 के राजस्व नक्शा ट्रैस का रकबा नाप करने पर 0.16 हैक्टर ही बनता है, जिससे प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से राजस्व नक्शे में भी जमाबंदी में दर्ज रकबा 0.32 हैक्टर के अनुसार तरमीम शुद्धि मौका स्थिति के अनुसार किये जाने का निवेदन किया। जिसकी जांच रिपोर्ट तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा प्रथम द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। तथा तहसीलदार, बाली व उसके प्रतिनिधि पटवारी हल्का, बेडा प्रथम ने भी वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुये अनुशंषा कर दी है। जिससे पटवारी हल्का, बेडा प्रथम द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के साथ तैयार मौका नक्शा के अनुरूप आवेदक प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्याय संगत प्रतीत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 131, 136 स्वीकार किया जाता है। माफिक रिपोर्ट पटवारी हल्का, बेडा प्रथम व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम बेडा प्रथम के खसरा नंबर 2570/789 नक्शे में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का बेडा प्रथम द्वारा प्रस्तुत मौका नजरी नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडा प्रथम को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible] मीना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 30-1-23 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner